# राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0
## "किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पंत्रॉक :– विपणन–3 / गेहूँ खरीद–272(2021–22) / 2021–919 दिनॉक : 10.3.2021

1.समस्त उप निदेशक (प्रशा0 / विप0)
मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।

2. समस्त सचिव,
मण्डी समितियॉ, उ0प्र0।

**विषयः**–रबी विपणन वर्ष 2021–22 में केन्द्रीयकृत प्रणाली के अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूँ क्रय की व्यवस्था हेतु नीति निर्धारण।

उपर्युक्त विषयक अपर आयुक्त,खाद्य तथा रसद विभाग,उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र संख्या–1701 / अ0आ0(वि0) / र0वि0व0–2 / 1394 / 20 / 2021–22 दिनांक 09.03.2021 के साथ विशेष सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग,उ0प्र0शासन के पत्र संख्या–4 / 2021 / 184 / 29–5–2021–5(1) / 21 दिनांक 09.03.2021 द्वारा रबी विपणन वर्ष 2021–22 में केन्द्रीयकृत प्रणाली के अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूँ क्रय की व्यवस्था हेतु गेहूँ क्रय नीति संलग्न कर प्रेषित की गयी है।

अतएव् खाद्य तथा रसद विभाग,उ0प्र0शासन द्वारा निर्गत गेहूँ क्रय नीति संलग्न कर प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि रबी विपणन वर्ष 2021–22 में केन्द्रीयकृत प्रणाली के अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूँ क्रय की व्यवस्था हेतु गेहूँ क्रय नीति में वर्णित प्राविधानों / व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन कड़ाई से करते हुए निर्धारित समयान्तर्गत समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं कराना सुनिश्चित करें, ताकि गेहूँ की खरीद सुगमता पूर्वक प्रारम्भ हो सके।

**संलग्नक–यथोपरि।**

10/03/2021
(अंजनी कुमार सिंह)
निदेशक

**पृष्ठांकन एवं दिनाकः उपरोक्तानुसार।**

**प्रतिलिपि**– अधोखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त,खाद्य तथा रसद विभाग,उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ को खाद्य तथा रसद विभाग के पत्र संख्या–1701 / अ0आ0(वि0) / र0वि0व0–2 / 1394 / 20 / 2021–22 दिनांक 09.03.2021 के कम में।
2. समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।(क्रय नीति सहित)
3. वित्त नियंत्रक,मण्डी परिषद,उ0प्र0।(क्रय नीति सहित)
4. उप निदेशक (प्रशा0 / विप0) / प्रभारी अधिकारी, प्रचार अनुभाग, मण्डी परिषद,मुख्यालय।(क्रय नीति सहित)
5. सिस्टम एनालिस्ट,मण्डी परिषद,मुख्यालय।(क्रय नीति सहित)
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी(श्री राजेन्द्र अग्रवाल), मण्डी परिषद,मुख्यालय।(क्रय नीति सहित)

(दिलीप कुमार त्रिगुणायत)
अपर निदेशक (प्रशासन)

# राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0
## "किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पंत्रॉक :– विपणन–3 / गेहूँ खरीद–272(2021–22) / 2021– 979 दिनॉक : 10.3.2021

1.समस्त उप निदेशक (प्रशा0 / विप0)
मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।

2. समस्त सचिव,
मण्डी समितियॉं, उ0प्र0।

**विषयः**–रबी विपणन वर्ष 2021–22 में केन्द्रीयकृत प्रणाली के अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूँ क्रय की व्यवस्था हेतु नीति निर्धारण।

उपर्युक्त विषयक अपर आयुक्त,खाद्य तथा रसद विभाग,उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र संख्या–1701 / अ0आ0(वि0) / र0वि0व0–2 / 1394 / 20 / 2021–22 दिनांक 09.03.2021 के साथ विशेष सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग,उ0प्र0शासन के पत्र संख्या–4 / 2021 / 184 / 29–5–2021–5(1) / 21 दिनांक 09.03.2021 द्वारा रबी विपणन वर्ष 2021–22 में केन्द्रीयकृत प्रणाली के अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूँ क्रय की व्यवस्था हेतु गेहूँ क्रय नीति संलग्न कर प्रेषित की गयी है।

अतएव् खाद्य तथा रसद विभाग,उ0प्र0शासन द्वारा निर्गत गेहूँ क्रय नीति संलग्न कर प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि रबी विपणन वर्ष 2021–22 में केन्द्रीयकृत प्रणाली के अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूँ क्रय की व्यवस्था हेतु गेहूँ क्रय नीति में वर्णित प्राविधानों / व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन कड़ाई से करते हुए निर्धारित समयान्तर्गत समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं कराना सुनिश्चित करें, ताकि गेहूँ की खरीद सुगमता पूर्वक प्रारम्भ हो सके।

**संलग्नक–यथोपरि।**

(अंजनी कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन एवं दिनाकः उपरोक्तानुसार।

**प्रतिलिपि**– अधोखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त,खाद्य तथा रसद विभाग,उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ को खाद्य तथा रसद विभाग के पत्र संख्या–1701 / अ0आ0(वि0) / र0वि0व0–2 / 1394 / 20 / 2021–22 दिनांक 09.03.2021 के क्रम में।
2. समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।(क्रय नीति सहित)
3. वित्त नियंत्रक,मण्डी परिषद,उ0प्र0।(क्रय नीति सहित)
4. उप निदेशक (प्रशा0 / विप0) / प्रभारी अधिकारी, प्रचार अनुभाग, मण्डी परिषद,मुख्यालय।(क्रय नीति सहित)
5. सिस्टम एनालिस्ट,मण्डी परिषद,मुख्यालय।(क्रय नीति सहित)
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी(श्री राजेन्द्र अग्रवाल), मण्डी परिषद,मुख्यालय।(क्रय नीति सहित)

10/3/21

(दिलीप कुमार त्रिगुणायत)
अपर निदेशक (प्रशासन)

पत्रांक 1701 / आ0आ0(वि0) / स0वि0व0–02 / 1394 / 20 / 2021–22

प्रेषक,

अपर आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0,
जवाहर भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितिया, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, 32 स्टेशन रोड, लखनऊ।
5. निदेशक, उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 को–ऑपरेटिव यूनियन लि0, (पी.सी.यू.) लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, गोमती नगर, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, 17–गोखले मार्ग, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ, उपभोक्ता भवन, बालाकदर रोड, लखनऊ।
10. समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।
11. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य भण्डारागार निगम, ईसानगर पैलेस, न्यू हैदराबाद, लखनऊ।
12. क्षेत्रीय प्रबन्धक, केन्द्रीय भण्डारागार निगम, गोमती नगर, लखनऊ।
13. श्री सुनील शर्मा, अपर राज्य सूचना–विज्ञान अधिकारी एवं वरिष्ठ तकनीकि निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।

दिनांक– 09 मार्च, 2021

**विषय– रबी विपणन वर्ष 2021–22 में केन्द्रीयकृत प्रणाली के अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूँ क्रय की व्यवस्था हेतु नीति निर्धारण।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक–4 / 2021 / 184 / 29–5–2020–5(1) / 21 दिनांक 09.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गेहूँ खरीद वर्ष 2021–22 हेतु गेहूँ क्रय नीति निर्गत की गयी है।

शासन के उपरोक्त पत्र द्वारा निर्गत गेहूँ क्रय नीति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है कि कृपया शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कड़ाई से कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक**— यथोपरि।

भवदीय

23.03.21

(संतोष कुमार)
अपर आयुक्त।

**प्रतिलिपि**— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल।
2. निजी सचिव, मा0 खाद्य तथा रसद मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव, मा0 खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, वित्त/संस्थागत वित्त/सहकारिता/कृषि विभाग।
6. अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग।
7. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
10. आंचलिक प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
11. आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
12. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
13. नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, 7 वालाकदर रोड, लखनऊ।
14. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. अपर आयुक्त (विपणन)/वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ।
16. समस्त सम्भागीय लेखाधिकारी (खाद्य), उत्तर प्रदेश।
17. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
18. संयुक्त सचिव, खाद्य तथा रसद अनु0–05, उ0प्र0 शासन।
19. समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
20. वैयक्तिक सहायक, खाद्यायुक्त, उ0प्र0 को आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।
21. प्रभारी खाद्य नियंत्रण कक्ष, जवाहर भवन, लखनऊ।

(संतोष कुमार)
अपर आयुक्त।

**संख्या-4/2021/184/29-5-2021-5(1)/21**

**प्रेषक,**

ओम प्रकाश वर्मा

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

1. आयुक्त,खाद्य एवं रसद विभाग, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, उ0प्र0।
5. महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. निदेशक, उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पी0सी0एफ), लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव यूनियन (पी0सी0यू), लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ (यू0पी0एस0एस0), लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक, राज भण्डारागार निगम, न्यू हैदराबाद, लखनऊ।
12. क्षेत्रीय प्रबन्धक, केन्द्रीय भण्डारागार निगम, गोमतीनगर, लखनऊ।

**खाद्य एवं रसद अनुभाग-5** **लखनऊ : दिनांक 09 मार्च, 2021**

विषय:- रबी विपणन वर्ष 2021-22 में केन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूं क्रय की व्यवस्था हेतु नीति निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से प्रारम्भ रबी विपणन वर्ष 2021-22 में किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराये जाने के निमित्त न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूं की खरीद किसानों से एफ0सी0आई0 एवं राज्य सरकार की क्रय एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित अनुदेशों के अनुसार की जायेगी:-

**1. समर्थन मूल्य :-**

भारत सरकार द्वारा घोषित गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य रूपया-1975/- प्रति कुन्तल के आधार पर रबी विपणन वर्ष 2021-22 में गेहूँ का क्रय किया जायेगा।

**2. कार्यकारी लक्ष्य :-**

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रबी विपणन वर्ष 2021-22 में गेहूँ क्रय का कोई लक्ष्य नही होगा। जब तक किसान क्रय केन्द्रों पर गेहूँ लेकर आयेंगे गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय सुनिश्चित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

## 3. क्रय संस्थाओं के केन्द्रो की संख्या :-

3.1 रबी विपणन योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय करने हेतु निम्न क्रय संस्थायें प्रस्तावित हैं, जिनके क्रय केन्द्रो की संख्या का विवरण निम्नवत् है :-

| क्रम संख्या | क्रय एजेन्सी का नाम | वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित क्रय केन्द्र |
|---|---|---|
| 1 | खाद्य विभाग की विपणन शाखा | 1100 |
| 2 | उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद | 250 |
| 3 | उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (एस0एफ0सी0) | 250 |
| 4 | उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पी0सी0एफ) | 3500 |
| 5 | उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव यूनियन(यू0पी0पी0सी0यू0) | 500 |
| 6 | उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ(यू0पी0एस0एस0) | 250 |
| 7 | भारतीय खाद्य निगम | 150 |
| | योग :- | 6000 |

3.2 आवश्यकतानुसार आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 द्वारा क्रय संस्थाओं के लक्ष्य को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है, या किसी अन्य क्रय संस्था को गेहूँ खरीद हेतु नामित किया जा सकता है तथा किसी कार्यरत संस्था को खरीद कार्य से हटाया जा सकता है।

3.3 रबी विपणन वर्ष 2021-22 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खाद्य विभाग व अन्य क्रय एजेन्सियों द्वारा कृषकों से गेहूँ क्रय किया जायेगा।

## 4. गुणविनिर्दिष्टियाँ :-

रबी विपणन वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणविनिर्दिष्टियों के अनुसार गेहूँ क्रय किया जायेगा।

4.1 नोडल अधिकारी व जिला खरीद अधिकारी की नियुक्ति व कर्तव्यः-

जनपद में गेहूँ क्रय हेतु जिलाधिकारी, नोडल अधिकारी होंगे, उनके निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में गेहूँ क्रय कराया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा जनपद के किसी वरिष्ठ अधिकारी को, जो कम से कम अपर जिलाधिकारी स्तर के हों, जिला खरीद अधिकारी एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी को अपर जिला खरीद अधिकारी नामित किया जायेगा। अपर जिलाधिकारी को अपने जनपद में कृषक पंजीयन के उपरान्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों के माध्यम से कृषकों द्वारा बोये गए रकबे का सत्यापन खतौनी से तथा कृषक के नाम मिसमैच सत्यापन, का भी नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। उनका यह दायित्व होगा कि 03 दिन के अन्दर किसान का सत्यापन सुनिश्चित हो जाये। उपजिलाधिकारी द्वारा कृषकों द्वारा बोये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गए रकबे का सत्यापन खतौनी से तथा कृषक के नाम मिसमैच का सत्यापन ऑनलाइन पोर्टल पर करते हुए डिजिटल साइन द्वारा किया जायेगा।

4.2 जिलाधिकारी द्वारा सत्यापन कार्य का रेण्डम आधार पर चेक कराते हुये सुनिश्चित किया जायेगा कि उप जिलाधिकारी द्वारा सत्यापन कार्य नियमानुसार किया जा रहा है। इसी प्रकार प्रत्येक उप जिलाधिकारी को कृषक पंजीयन, सत्यापन, गेहूँ क्रय व भण्डारण के निमित्त तहसील/परगना हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जिसके साथ इस कार्य में क्षेत्रीय विपणन अधिकारी द्वारा समन्वय रखा जायेगा।

4.3 मण्डलायुक्त, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, जिलाधिकारी, जिला खरीद अधिकारी, सभी नोडल अधिकारी एवं क्रय संस्थायें यह सुनिश्चित करेंगी, कि गेहूँ खरीद एवं केन्द्रीय पूल में भण्डारण का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे तथा किसी भी कारण से गेहूँ खरीद प्रभावित न होने पाये। मण्डलायुक्त नियमित समीक्षा बैठक कर यह सुनिश्चित करेंगे कि राजस्व विभाग द्वारा सत्यापन का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है।

4.4 जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक क्रय केन्द्र पर एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जायेगी, जो पर्यवेक्षणीय अधिकारी की भूमिका में होगा, जिसके द्वारा क्रय केन्द्रों पर नियमानुसार खरीद सुनिश्चित करायी जायेगी। उक्त नोडल अधिकारी के रूप में ग्राम स्तर पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी की ही तैनाती की जायेगी। नोडल अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन शाम को की गयी दैनिक खरीद की मात्रा का स्टॉक सत्यापन कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय अभिलेखों के अनुसार स्टॉक उपलब्ध है। नोडल अधिकारी द्वारा इसकी दैनिक रिपोर्ट जिला खाद्य विपणन अधिकारी एवं जिला खरीद अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

4.5 नोडल अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि क्रय केन्द्र पर गेहूँ खरीद कार्य हेतु नियुक्त हैण्डलिंग ठेकेदार द्वारा प्रति कांटा पर्याप्त संख्या में श्रमिक उपलब्ध कराये गये हैं तथा क्रय एजेन्सियो द्वारा क्रय केन्द्रो पर गेहूँ खरीद हेतु आवश्यक उपकरण यथा- इलेक्ट्रानिक कांटा, नमीमापक यंत्र, छलना व पंखा, विनोइंग फैन आदि की व्यवस्था पूर्ण कर ली गयी है।

**5. <u>गेहूँ क्रय की अवधि एवं क्रय केन्द्र खुलने का समय :-</u>**

5.1 रबी विपणन वर्ष 2021-22 में गेहूँ क्रय की अवधि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए 01 अप्रैल, 2021 से 15 जून, 2021 तक प्रभावी रहेगी।

5.2 कृषकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर, शेष कार्य दिवसों में गेहूँ क्रय केन्द्र खुले रहेंगे। जिलाधिकारी रविवार को छोड़कर अन्य अवकाश के दिनों में भी लक्ष्य की पूर्ति के दृष्टिगत क्रय केन्द्र खुलवा सकेंगे।

5.3 सामान्यतः क्रय केन्द्र प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 तक खुले रखे जायेंगे, किन्तु जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्रय केन्द्र के खुलने व बन्द होने के समय में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु अधिकृत होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. **क्रय केन्द्रों की स्थापना के मानक एवं संचालन की व्यवस्थाः-**

6.1 जनपद की परिस्थितियों एवं क्षेत्र में गेहूँ की पैदावार एवं आवक के दृष्टिगत क्रय संस्थाओं के मध्य क्रय केन्द्रों का स्थल आवंटन स्थानीय स्तर पर सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

जिले में कार्यरत एजेन्सियो द्वारा अपने जिले के अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रत्येक दशा में 15 फरवरी, 2021 तक उपलब्ध करा दी जाएगी तथा जिलाधिकारी क्रय एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारियों की उपलब्धता के दृष्टिगत क्रय केन्द्रों का निर्धारण 20 फरवरी, 2021 तक करेंगे। क्रय केन्द्रो के निर्धारण को अन्तिम रूप देने के पूर्व जिलाधिकारी, जिला खरीद अधिकारी, अपर जिला खरीद अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, क्रय एजेन्सियों के जिला स्तरीय अधिकारी, समस्त मण्डी समिति के सचिव तथा प्रत्येक तहसील के न्यूनतम 01 प्रगतिशील कृषक के साथ बैठक भी करेंगे।

6.2 क्रय केन्द्रों की स्थापना एवं उनका संचालन निम्नलिखित मानकों के अनुसार किया जायेगा :-

(1) क्रय केन्द्र तहसील, ब्लॉक, सहकारिता विभाग से सम्बद्ध साधन सहकारी समितियों के भवन, मण्डी स्थल एवं उपमण्डी स्थल, एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब (AMH), ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (RIN), इत्यादि पर स्थापित किये जायेंगे। उक्त के अतिरिक्त क्रय केन्द्र सरकारी भवन, पंचायत भवन, गन्ना समितियों के भवन, खाद एवं बीज विक्रय केन्द्र पर भी खोले जा सकते हैं। निजी/प्राइवेट भवन मे क्रय केन्द्र नहीं खोले जायेगे। यदि सरकारी भवन उपलब्ध नही है तो अपरिहार्य स्थिति में किराये पर लिये गये भवन/क्रय केन्द्र मुख्य मार्ग पर स्थित होंगे ताकि किसानों का आवागमन सुगमता से हो सके।

(2) कृषकों की सुविधा के दृष्टिगत स्थायी गेहूँ क्रय केन्द्र/स्थल बनाये जाने पर विशेष ध्यान दिया जाये। इस निमित्त प्रयास किया जाये कि खाद्य विभाग, पी0सी0एफ0 व भा0खा0नि0 के केन्द्र एक निश्चित स्थान पर ही खोले जायें।

(3) क्रय केन्द्रों की रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर के माध्यम से जियो टैगिंग की जायेगी। जनपद में स्थापित सभी एजेन्सियों के क्रय केन्द्रों का नाम व पता, केन्द्र की लोकेशन, केन्द्र प्रभारी का नाम व मोबाइल नम्बर इत्यादि विवरण जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा इसकी सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से कृषकों को पंजीकरण के समय ही उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) क्रय केन्द्र ऐसे स्थान पर स्थापित किये जायेंगे जहाँ गेहूँ की अच्छी आवक एवं खरीद की अच्छी सम्भावना हो तथा किसान को गेहूँ विक्रय के लिए अधिक दूरी न तय करनी पड़े। क्रय केन्द्र मुख्य मार्ग से जुड़ा हो और वहां पर ई-उपार्जन माड्यूल की फीडिंग हेतु इण्टरनेट नेटवर्क की उपलब्धता रहे। इस प्रकार प्रदेश में 6000 केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

(5) क्रय केन्द्रों की स्थापना आदि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा, क्रय एजेन्सियों द्वारा जिलाधिकारी का निर्णय का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रदेश स्तर से क्रय केन्द्र खोलने व बन्द किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा पृथक से निर्देश निर्गत किये जा सकेंगे।

(6) प्रत्येक क्रय केन्द्र पर 02 इलेक्ट्रानिक कांटा, 01 नमी मापक यंत्र, विनोईंग फैन एवं डबल जाली का छलना आवश्यक रूप से रखा जायेगा। मण्डीयार्डों में स्थापित क्रय केन्द्रों पर उक्त व्यवस्था मण्डी परिषद द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी। मण्डी परिसर के बाहर स्थित क्रय केन्द्रों पर मण्डी परिषद द्वारा किराये के आधार पर उक्त उपकरण क्रय एजेन्सियों को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा मण्डी परिषद द्वारा निर्धारित किराया एजेन्सियों को वहन करना होगा।

मण्डी परिषद द्वारा क्रय केन्द्रों पर उपकरणों आदि की व्यवस्था 10 मार्च, 2021 तक पूर्ण कर ली जायेगी तथा इसकी सूचना आयुक्त, खाद्य एवं रसद कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

(7) प्रत्येक क्रय केन्द्र पर गेहूँ का एक मानक नमूना भी प्रदर्शित किया जायेगा।

6.3 क्रय एजेन्सियों द्वारा स्थापित गेहूँ क्रय केन्द्रों पर किसानों के लिए पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था एवं वाहन पार्किंग इत्यादि के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था की जायेगी। क्रय केन्द्रों पर गेहूँ को वर्षा व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए क्रेट्स व तिरपाल की व्यवस्था की जायेगी, ताकि किसी भी स्थिति में गेहूँ खराब न होने पाये। मण्डीयार्डों में स्थापित क्रय केन्द्रों पर उक्त व्यवस्था मण्डी परिषद द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी। अन्य क्रय केन्द्रों पर क्रय एजेन्सियों द्वारा यह व्यवस्था स्वयं के स्रोतों से की जायेगी।

6.4 रबी विपणन वर्ष 2021-22 में मण्डीयार्ड में संचालित केन्द्रों पर मण्डी परिषद द्वारा देय उक्त व्यवस्थाओं के मद में व्यय सीमायें निम्नवत् निर्धारित की जाती हैं :-

| क्रम | खरीद प्रति केन्द्र (टन में) | अनुमन्य सीमाएं |
|---|---|---|
| 1 | 0 से 1500 | रू0 15000 प्रति केन्द्र |
| 2 | 1500 से 3000 | रू0 25000 प्रति केन्द्र |
| 3 | 3000 से अधिक | रू0 40000 प्रति केन्द्र |

मण्डी यार्ड के बाहर के क्रय केन्द्रों पर उक्त सीमा तक व्यय सम्बन्धित क्रय एजेन्सी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

6.5 मण्डी परिसर में क्रय केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रवेश द्वार के निकट के चबूतरों को आवंटित किया जायेगा। मण्डी परिसर व मण्डी परिसर के बाहर के क्रय केन्द्रों की लोकेशन तथा क्रय केन्द्रों तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थल व अन्य उपयुक्त स्थानों पर बैनर, पोस्टर, वॉल पेन्टिंग आदि के माध्यम से प्रदर्शक /मार्गदर्शक चिन्ह प्रदर्शित किये जायेंगे। जिलाधिकारी उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

6.6 मण्डी परिसर व मण्डी परिसर के बाहर संचालित क्रय केन्द्रों पर मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले किसी भी यन्त्र के खराब होने की स्थिति में सम्बन्धित केन्द्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रभारी तत्काल इसकी सूचना सम्बन्धित सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति को देंगे तथा सचिव, मण्डी समिति द्वारा तत्काल इसकी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। निदेशक मण्डी परिषद द्वारा इस प्रयोजन हेतु जनपद व सम्भाग स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी/ मैकेनिक का नाम एवं मोबाइल नम्बर की सूचना सभी क्रय एजेन्सियों को उपलब्ध करायी जायेगी।

6.7 कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी व प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाने व मूल्य समर्थन योजना में गुणात्मक व पारदर्शी ढंग से गेहूँ क्रय हेतु आवश्यक है कि किसानों द्वारा मण्डियों में लाये गये गेहूँ की बिक्री हेतु नीलामी द्वारा खुली बोली दिन में 02 बार पूर्वान्ह 11:00 बजे और अपरान्ह 2:00 बजे मण्डी सचिव, क्रय संस्थाओं के केन्द्र प्रभारी तथा उपस्थित व्यापारियों के समक्ष लगायी जायेगी ताकि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके। नीलामी प्रक्रिया की सूचना मण्डी समिति द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी जायेगी। नीलामी के समय यदि केन्द्र प्रभारी उपस्थित नहीं रहता है, तो इसकी सूचना जिलाधिकारी एवं अन्य उच्चाधिकारियों को सचिव द्वारा दी जायेगी। गेहूँ की व्यावसायिक तरीके से नीलामी कराने पर यदि नीलामी में गेहूँ की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर आती है और गेहूँ निर्धारित गुण-विनिर्दिष्टियों के अनुरूप है, तो क्रय संस्थाओं द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद लिया जायेगा।

6.8 यदि कृषक का गेहूँ निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है एवं गेहूँ की छनाई एवं सफाई की आवश्यकता समझी जाती है तो गेहूँ की उतराई, छनाई एवं सफाई का कार्य कृषक स्वयं कर सकेंगे। क्रय केन्द्र पर उतराई, छनाई व सफाई की धनराशि जबरन कृषकों से नहीं काटी जाएगी यदि क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की उतराई, छनाई एवं सफाई का कार्य केन्द्र पर उपलब्ध श्रमिकों द्वारा किया जाता है, तो कृषक द्वारा श्रमिकों से कराने पर वास्तविक व्यय के आधार वार्ता कर समझौतों के अनुरूप अथवा अधिकतम रू0 20 प्रति कुं0 की दर से भुगतान किया जायेगा।

6.9 केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत गेहूँ का सुगमतापूर्वक भण्डारण कराने हेतु मण्डी समितियों के चबूतरे व गोदाम गेहूँ के अस्थायी भण्डारण हेतु किराये पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रयुक्त किये जा सकेंगे। जिन मण्डियों में चबूतरों पर प्राइवेट व्यापारियों ने अपना खाद्यान्न भण्डारित कर रखा है, आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी उन चबूतरों को गेहूँ भण्डारण हेतु खाली कराकर भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध करायेंगे।

मण्डी परिषद, विशिष्ट मण्डियों में जहाँ बड़े-बड़े गोदाम खाद्यान्न भण्डारण हेतु निर्मित किये गए है किन्तु वेब्रिज अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं, वरीयता के आधार पर उनमें वेब्रिज प्रत्येक दशा में 10 मार्च, 2021 तक क्रियाशील करा लिये जायें।

6.10 जनपद में एक बार गेहूँ क्रय केन्द्रों का निर्धारण करने के पश्चात् अतिरिक्त गेहूँ क्रय केन्द्र खोले जाने अथवा निर्धारित क्रय अवधि के पूर्व क्रय केन्द्र को बन्द किये जाने की आवश्यकता पाये जाने पर औचित्य का परीक्षण कर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समिति निर्णय लेगी, जिसके सदस्य जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्रय संस्था के जिला स्तरीय अधिकारी एवं सहायक आयुक्त तथा सहायक निबन्धक, सहकारिता होंगे।

6.11 मण्डी स्थलों में स्थापित क्रय केन्द्रां पर जनपद का कोई भी किसान अपना गेहूँ ले जाकर बेच सकेगा। मण्डी स्थल के बाहर के क्रय केन्द्रों से राजस्व ग्रामों का सम्बद्धीकरण अनिवार्य रूप से किया जायेगा। राजस्व ग्रामों का सम्बद्धीकरण जिलाधिकारी द्वारा गेहूँ की उत्पादकता के अनुसार इस प्रकार किया जायेगा कि किसानों को अधिक दूरी न तय करनी पड़े तथा गेहूँ की बिक्री अपनी सुविधानुसार कर सकें। यदि किसी एक जनपद से सटे हुए अन्य जनपद के किसान, जहाँ समीप में क्रय केन्द्र स्थापित हों, अपना गेहूँ बेचने के इच्छुक हैं, तो कृषकों की सुविधा के दृष्टिगत सम्बन्धित जनपद के जिला खरीद अधिकारी निकटवर्ती जनपद के जिला खरीद अधिकारी से विचार-विमर्श कर गेहूँ विक्रय हेतु अनुमति दे सकेंगे।

6.12 ग्राम पंचायत में स्थित पंचायत भवन/सार्वजनिक स्थल जैसे- साधन सहकारी समिति के भवन, कृषि विपणन केन्द्र, बीज व खाद विक्रय केन्द्र आदि पर राजस्व ग्रामवार सम्बद्ध क्रय केन्द्र का नाम व पता, क्रय केन्द्र प्रभारी का नाम, मोबाइल नम्बर, केन्द्र के खुलने व बंद होने का समय, न्यूनतम समर्थन मूल्य, की वॉलपेंटिंग अनिवार्य रूप से करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में निदेशक, पंचायतीराज के स्तर से सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

7. <u>कृषक पंजीकरण :-</u>

रबी विपणन वर्ष 2021-22 में गेहूँ क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की बिक्री हेतु कृषक को खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह पंजीकरण कृषक द्वारा स्वयं अथवा जनसूचना केन्द्र के माध्यम से अथवा साइबर कैफे के माध्यम से कराया जा सकेगा। कृषकों का पंजीकरण, उनके आधार संख्या एवं पंजीकरण के समय कृषक द्वारा दर्ज मोबाइल नम्बर पर प्रेषित ओ0टी0पी0 के आधार पर किया जायेगा। जो कृषक खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीद में पंजीकरण करा चुके है, उन्हें गेहूँ विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है परन्तु पंजीकरण प्रपत्र में यथावश्यक संशोधन कर या बिना संशोधन के पुनः लॉक करना होगा। गेहूँ बिक्री के समय क्रय केन्द्रो पर किसान के स्वयं उपस्थित न होने की दशा में किसान द्वारा पंजीकरण के समय अपने पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य का विवरण एवं आधार नम्बर फीड कराना अनिवार्य होगा। कृषक पंजीकरण व सत्यापन के सम्बन्ध में अन्य आदेश आयुक्त, खाद्य एवं रसद के द्वारा आवश्यकतानुसार निर्गत किये जा सकेंगे।

7.1 गेहूँ विक्रय हेतु कृषक का पूर्व पंजीकरण अनिवार्य होगा। यदि कोई कृषक अधिकतम 100 कुं0 गेहूँ क्रय केन्द्र पर बेचना चाहता है तो वह अग्रेतर आदेशों तक ऑनलाइन सत्यापन से मुक्त रहेगा। 100 कुं0 से अधिक गेहूँ विक्रय किये जाने की दशा में राजस्व विभाग व पी0एफ0एम0एस0 से सत्यापन कराते हुए गेहूँ खरीद की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7.2 संयुक्त परिवार की स्थिति में कोई एक खाताधारक अन्य सह खाताधारकों की सहमति से उनकी तरफ से गेहूँ विक्रय हेतु पंजीकरण करा सकेगा एवं गेहूँ बिक्री कर सकेगा। इस हेतु परिवार के सदस्य द्वारा सह खातेदार का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा।

7.3 कृषक पंजीकरण का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा।

8. **<u>ई-उपार्जन (ई-प्रक्योरमेन्ट) :-</u>**

रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समस्त क्रय एजेन्सियां, एन0आई0सी0 द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर/ई-उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन गेहूँ क्रय की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से अपनायेंगी। कृषक की भूमि एवं गेहूँ के बोये गये रकबे का सत्यापन राजस्व विभाग की भूलेख सम्बन्धी वेबसाइट से लिंकेज देकर ऑनलाइन कराया जायेगा।

बटाईदार एवं चकबन्दी के अन्तर्गत ग्रामों के किसानों का गेहूँ, चकबन्दी सम्बन्धी संगत अभिलेख के आधार पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा शत-प्रतिशत ऑनलाइन सत्यापन के उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। खरीद के समय किसानों द्वारा खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण में जो भी विवरण दर्ज किया गया है, उसके सम्बन्ध में समस्त मूल अभिलेख तथा आधार एवं पहचान पत्र खरीद के समय क्रय केन्द्रों पर क्रय केन्द्र प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे तथा उनकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति भी क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

8.1 समस्त क्रय संस्थायें क्रय केन्द्रों पर अपने संसाधन से ई-उपार्जन हेतु-कम्प्यूटर/ लैपटॉप, आईपैड, इन्टरनेट कनेक्शन व ई-उपार्जन से सम्बन्धित आधारभूत व्यवस्थायें करायेंगी तथा इसकी सूचना 10 मार्च, 2021 तक आयुक्त, खाद्य एवं रसद को प्रेषित करेंगी।

8.2 गेहूँ खरीद का प्रत्येक विवरण ई-उपार्जन माड्यूल पर करना होगा, केवल उसी खरीद को मान्यता दी जायेगी, जो ऑनलाइन फीड होगी। ऑफलाइन खरीद अमान्य होगी।

**8.3 <u>गेहूँ क्रय हेतु प्रशिक्षण :-</u>**

गेहूँ खरीद, डिलीवरी एवं बिलिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया ई-उपार्जन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से की जायेगी। एन0आई0सी0 के सहयोग से क्रय व्यवस्था से जुड़े समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस हेतु प्रशिक्षण 20 मार्च तक पूर्ण करा लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में पृथक से विस्तृत दिशानिर्देश आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

**9. <u>टोकन व्यवस्था :-</u>** किसानों की सुविधा के लिए क्रय केन्द्रों पर ऑन-लाइन टोकन के माध्यम से खरीद सुनिश्चित की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में जिलाधिकारी द्वारा ऑफ-लाइन टोकन के सम्बन्ध में निर्णय लेकर खरीद करायी जायेगी। इस हेतु पृथक से दिशा-निर्देश खाद्यायुक्त द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

**10. <u>इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ परचेज मशीन के माध्यम से गेहूँ खरीदः-</u>**

10.1 रबी विपणन वर्ष 2021-22 में यथासम्भव इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ परचेज मशीन के माध्यम से किसानो के बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की खरीद की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगी। इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा अलग से निर्गत किये जायेंगे।

10.2 उक्त मशीन से आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से गेहूँ क्रय होने पर किसानों को एस.एम.एस. के माध्यम से सन्देश प्रेषित किये जाने की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें यह उल्लेख होगा कि यदि आपके द्वारा संबंधित क्रय संस्था पर गेहूँ नहीं बेचा गया है तो आप आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा निर्धारित किये गये फोन पर सूचित कर सकते हैं। इस संबंध में डेडीकेटेड फोन नंबर निर्धारित करते हुए विस्तृत दिशानिर्देश खाद्यायुक्त द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

10.3 खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा किराये के आधार पर ई-निविदा के माध्यम से इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ परचेज मशीनों की व्यवस्था की जायेगी तथा सभी एजेन्सियों को उपलब्ध कराये जाने की भी व्यवस्था की जायेगी। उक्त समस्त व्यवस्थाऐ गेहूँ खरीद प्रारम्भ होने से कम से कम 10 दिन पूर्व पूर्ण कर ली जायेगी। क्रय केन्द्रों पर नियुक्त कर्मचारियों को मशीन संचालन का उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण 20 मार्च तक पूर्ण करा लिया जाना आवश्यक होगा।

10.4 इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ परचेज मशीनो के सुरक्षा एवं संचालन का दायित्व क्रय एजेन्सी के केन्द्र प्रभारी का होगा। उक्त मशीन में किसी भी प्रकार की भौतिक क्षति होने पर उसकी क्षतिपूर्ति सम्बन्धित क्रय एजेंसी से की जायेगी।

10.5 गेहूँ बिक्री के समय क्रय केन्द्रो पर किसान के स्वयं उपस्थित न होने की दशा में किसान द्वारा पंजीकरण के समय अपने पंजीकरण प्रपत्र में दिये गये परिवार के सदस्य का बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण कराते हुए गेहूँ क्रय किया जायेगा।

10.6 इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ परचेज मशीन द्वारा खरीद की पठनीय प्रिंटेड पावती अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

10.7 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण कराते हुए किया जा रहा है। इस कार्य हेतु सिस्टम इन्टीग्रेटर का चयन यू0पी0 डेस्को के माध्यम से किया गया है। वर्तमान में लगभग 80,000 उचित दर विक्रेताओं के यहां ई-पॉस मशीन के माध्यम से लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण का कार्य सफलतापूर्वक कराया जा रहा है। इस प्रकार यू0पी0 डेस्को के ई-पॉस मशीन के सफल संचालन के अनुभव को देखते हुए खरीद केन्द्रों पर ई-पॉप मशीन संचालन का कार्य भी यू0पी0 डेस्को के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव है। उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल के चैप्टर-8 के उप प्रस्तर-8.3 में निम्न व्यवस्था है:- The procuring entity, having procured goods, equipment, technology or services from a bidder, determines that additional supplies or service shall be procured from such bidder for reasons of standardization or because of the need for compatibility with existing goods, equipments, technology or services.

अतः इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ परचेज मशीन किराये के आधार पर लिए जाने हेतु यू0पी0 डेस्को को सर्विस प्रोवाइडर एजेन्सी के रूप में चयनित किया जाना प्रस्तावित है। यू0पी0 डेस्को द्वारा पारदर्शी क्रय प्रक्रिया अपनाते हुए प्रचलित प्रोक्योरमेंट नियमों एवं राज्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सरकार के प्रचलित शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मशीने उपलब्ध करायी जायेंगी।

11. **क्रय केन्द्रों पर अभिलेखों का रख-रखाव :-**

11.1 क्रय एजेन्सियों द्वारा गेहूँ क्रय सम्बन्धी अभिलेख निर्धारित प्रारूप पर छपवाकर रखे जायेंगे, यथा- 1. टोकन पंजिका, 2. निरीक्षण पंजिका, 3. शिकायत पंजिका, 4. गेहूँ रिजेक्शन पंजिका व 5. क्रय तक पट्टी, 6. क्रय पंजिका, 7. स्टॉक रजिस्टर, 8 बोरा रजिस्टर, 9. टी0सी0डी0सी0/मूवमेन्ट चालान अनिवार्य रूप से रखे जायेंगे। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन क्रय पंजिका, बोरा रजिस्टर, भुगतान विवरण व स्टॉक पंजिका के अद्यावधिक प्रिन्टआउट निकलवाकर अलग-अलग पत्रावली में सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य होगा।

गेहूँ विक्रय करने हेतु उपस्थित कृषक अथवा उसके परिवार के सदस्य द्वारा क्रय पंजिका तथा अन्य अभिलेखों पर नाम अंकित करते हुये हस्ताक्षर किये जायेंगे तथा उपस्थित व्यक्ति की पहचान उसके आधार कार्ड से की जायेगी। यदि कृषक के स्थान पर उसके परिवार का सदस्य उपस्थित होता है तो उसके द्वारा मूल कृषक का तथा अपना आधार कार्ड दोनों लाया जायेगा, जिसके आधार पर केन्द्र प्रभारी द्वारा पहचान सुनिश्चित की जायेगी तथा आधार कार्ड की छायाप्रति केन्द्र प्रभारी द्वारा संरक्षित की जायेगी।

सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारी, निरीक्षण के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्र पर अभिलेखों का रख-रखाव ठीक से किया जा रहा है तथा उनमें अद्यतन प्रविष्टियां की जा रही हैं। निरीक्षण के समय अनियमितता/विसंगति पाये जाने पर सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी करेंगे।

11.2 कृषक का गेहूँ गीला अथवा गन्दा होने पर क्रय केन्द्र पर तत्काल अस्वीकृत न किया जाये, बल्कि उसे क्रय केन्द्र पर सुखाने व साफ करने का पर्याप्त मौका दिया जाये व मानक के अनुरूप आ जाने पर क्रय किया जाये।

11.3 किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में कृषकों द्वारा लाया गया गेहूँ यदि मानक के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो गेहूँ को अस्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर की जायेगी तथा रिजेक्शन रजिस्टर में भी इसका विवरण यथा- विक्रेता का नाम व उसका पूरा पता, किसान-पंजीकरण संख्या, मोबाइल नम्बर, गेहूँ की मात्रा तथा अस्वीकृत करने का पर्याप्त एवं स्पष्ट कारण अंकित किया जायेगा। केन्द्र प्रभारी द्वारा कृषक को उक्त के सम्बन्ध में सूचित करते हुए अपीलीय अधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर भी उपलब्ध कराया जायेगा।

11.4 यदि उक्त गेहूँ की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं आ पाती है एवं कृषक संतुष्ट नहीं है तो सम्बन्धित कृषक, तहसील स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के यहां उक्त के सम्बन्ध में अपील कर सकता है। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति उसी दिन कृषक के सम्मुख विश्लेषण कर निर्णय लेगी।इस समिति में निम्न सदस्य होंगे :-

(i) क्षेत्रीय विपणन अधिकारी - अध्यक्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ii) मण्डी सचिव/कृषि विपणन निरीक्षक - सदस्य

(iii) केन्द्र प्रभारी - सदस्य

(iv) 02 स्वतंत्र कृषक - सदस्य

11.5 मांग किये जाने पर रिजेक्शन रजिस्टर सम्बन्धित किसानों, माननीय जन प्रतिनिधियों एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को भी दिखाया जायेगा।

11.6 कृषकों की सुविधा की दृष्टि से गेहूँ क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित सूचनायें बैनर तथा क्रय स्थल की दीवार पर पेंट कराकर प्रदर्शित की जायेंगी :-

1. गेहूँ का समर्थन मूल्य
2. क्रय संस्था व क्रय केन्द्र का नाम।
3. शिकायत पंजीकरण का टोल फ्री नम्बर-18001800150
4. क्रय केन्द्र प्रभारी का नाम व मोबाइल नम्बर
5. क्रय एजेन्सी के जनपद स्तरीय अधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर।
6. जिला खाद्य विपणन अधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर।
7. उप जिलाधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर।
8. क्षेत्रीय विपणन अधिकारी/अपीलीय अधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर।
9. गुणवत्ता के मानक
10. क्रय केन्द्र खुलने का समय प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक।
11. जनपद का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन।

एकरूपता की दृष्टि से सभी केन्द्रों के लिए खाद्यायुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप पर बैनर सम्बन्धित क्रय एजेन्सी के मुख्यालय द्वारा तैयार कराया जायेगा।

**12. <u>क्रय केन्द्रों पर बांट एवं मापों का सत्यापन :-</u>**

12.1 क्रय केन्द्रों पर प्रयोग किये जाने वाले बांट-माप और इलेक्ट्रानिक काँटे का सत्यापन व निरीक्षण क्रय कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व तथा समय-समय पर नियमानुसार नियंत्रक, विधिक बांट माप विज्ञान विभाग द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा।

12.2 क्रय संस्थाओं द्वारा यह भी ध्यान रखा जायेगा कि क्रय केन्द्रों पर सही बांट तथा माप का प्रयोग हो तथा सही तौलाई की जाय। मण्डी समिति/क्रय एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध कराये गए इलेक्ट्रानिक कांटों का 25 मार्च 2021 तक अभियान चलाकर सत्यापन करा लिया जाये।

12.3 क्रय केन्द्रों व भण्डारण डिपो पर सही तौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंडी परिषद द्वारा प्रत्येक जनपद में इलेक्ट्रानिक कांटों की रिपेयरिंग हेतु एक मैकेनिक नामित करेंगी। यदि यह सम्भव नहीं हो पाता है तो सम्भाग में एक मैकेनिक नामित करेंगी व उसका मोबाइल नम्बर सर्वसम्बन्धित को सूचित करेंगी।

**13. <u>बोरों की व्यवस्था :-</u>**

13.1 गेहूँ खरीद के लिए बोरों की व्यवस्था क्रय संस्थाओं के लिए खाद्य विभाग द्वारा की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जाती है। रबी खरीद वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार की क्रय एजेन्सियों द्वारा अनुमानित खरीद के आधार पर बोरों की आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जायेगी। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार गेहूँ खरीद केवल 50 किलोग्राम भर्ती वाले एस0बी0टी0 जूट के बोरों तथा एच0डी0पी0ई0/पी0पी0 बैग्स में की जायेगी। जिलों तक बोरों का परिवहन रेल/सड़क मार्ग से इस प्रकार किया जायेगा कि बोरों के परिवहन में कम से कम समय में न्यूनतम व्यय पर बोरे सभी गन्तव्य स्थलों पर उपलब्ध हो सकें।

13.2 बोरों का आवंटन प्रारम्भ में ही विभिन्न क्रय एजेन्सियों को सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा पूर्व भुगतान के आधार पर उनके लक्ष्य के 30 प्रतिशत गेहूँ क्रय हेतु कर दिया जायेगा तथा बोरों के आवंटन व जमा धनराशि का विवरण ई-उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन फीड कराया जायेगा।

13.3 क्रय संस्थाओं के पास गत खरीद वर्षों के अवशेष नये एच0डी0पी0ई0/पी0पी0 बोरे व जूट बोरों का प्रयोग सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त प्राथमिकता पर किया जायेगा, तत्पश्चात् ही रबी विपणन वर्ष 2021-22 के नये एच0डी0पी0ई0/पी0पी0 व जूट बोरों का प्रयोग गेहूँ खरीद में किया जायेगा।

13.4 रैक से बोरों की प्राप्ति होने पर यदि खाद्य विभाग के पास बोरों के भण्डारण हेतु पर्याप्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध नहीं है तो सम्भागीय खाद्य नियंत्रक अधिकतम छः माह की अवधि हेतु अस्थायी गोदाम, सम्भागीय लेखाधिकारी के वित्तीय परामर्श के दृष्टिगत ले सकेंगे, गोदाम किराये पर लेने में केन्द्रीय/राज्य भण्डारागार निगम के गोदाम, अन्य सरकारी गोदाम, अर्द्ध सरकारी, निगम व मण्डी समितियों के गोदामों को वरीयता दी जायेगी। यदि उक्त गोदाम किराये पर उपलब्ध नहीं होते हैं तो समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराकर बोरों के भण्डारण के दृष्टिगत सुरक्षित गोदाम किराये पर ले सकेंगे। इन गोदामों को अधिकतम किराया उस ब्लाक में स्थित पी0डी0एस0 गोदाम हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत किराये के आधार पर देय होगा। यदि उस ब्लाक में पी0डी0एस0 गोदाम स्थित नहीं है तो निकटवर्ती पी0डी0एस0 गोदाम के स्वीकृत किराया दर के अनुरूप किराया देय होगा। यदि किसी ब्लाक में कई गोदाम स्वीकृत हैं तो जिस गोदाम का किराया न्यूनतम है, उसको इस निमित्त आधार बनाया जायेगा।

14. **<u>गेहूँ के बोरों की भराई, सिलाई एवं स्टैन्सिलिंग :-</u>**

14.1 क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गये गेहूँ की प्रति बोरा 50 किग्रा की स्टैण्डर्ड भराई की जायेगी। बोरों की सिलाई मशीन से अनिवार्य है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार मशीन की सिलाई के उपरान्त ही गेहूँ से भरे बोरों का सम्प्रदान किया जायेगा।

14.2 प्रत्येक बोरे पर आर0एम0एस0 2021-22, क्रय केन्द्र का कोड नम्बर, वजन, क्रय केन्द्र एवं क्रय संस्था का नाम, हैण्डलिंग ठेकेदार से अंकित कराने का उत्तरदायित्व क्रय केन्द्र प्रभारी का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14.3 बोरों पर भारत सरकार के पत्र सं0-15(1)/2012-पी0वाई0-II(E.file.367559) दिनांक 01.10.2020 द्वारा निर्धारित नीले रंग की स्टेन्सिलिंग एवं ब्रांडिंग, इन्डेन्टर की आवश्यकतानुसार की जायेगी। गेहूँ की तौल होने व गेहूँ की भराई करने के बाद बोरों के मुख पर लाल रंग की मार्किंग इस प्रकार की जायेगी, जो पठनीय हो एवं आसानी से मिट न सके व बोरों की मशीन से सिलाई की जायेगी।

बोरों की पहचान के लिए जूट बैग्स पर 04 धागों की चौड़ी लाल रंग की स्ट्रिप लगायी जायेगी। स्टेन्सिलिंग में कोड के माध्यम से क्रय केन्द्रों का चिन्हांकन किया जायेगा। गेहूँ की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद, क्रय संस्था एवं क्रय केन्द्र को एक कोड नम्बर आवंटित किया जायेगा। कोड नम्बर अंकित करने सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश खाद्यायुक्त द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

14.4 यदि किसी बोरे पर उपरोक्तानुसार कोड नम्बर नहीं होगा तो भण्डारण डिपो पर उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा और इसकी सूचना सम्बन्धित क्रय एजेन्सी को तत्काल लिखित रूप में दी जायेगी। यह अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक क्रय केन्द्र पर खरीदे जाने वाले गेहूँ से भरे बोरों पर उपरोक्तानुसार कोड नम्बर की स्टेन्सिल अवश्य अंकित हो, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवंटित खाद्यान्न की किसी भी स्थिति में रिसाइकिलिंग की कोई सम्भावना न रहे।

14.5 गेहूँ से भरे बोरों की उपरोक्तानुसार सिलाई एवं स्टेन्सिलिंग न करने पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्रय संस्थाओं से भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट गुणवत्ता मानक के अनुरूप निम्नवत् कटौती की जायेगी, जिसका समायोजन क्रय संस्थाओं द्वारा हैण्डलिंग ठेकेदारों के बिलों से किया जायेगा :-

| क्र0 | विवरण | कटौती की दर |
|---|---|---|
| 1 | खराब सिलाई | रू0 1.00 प्रति बोरा |
| 2 | खराब स्टेन्सिलिंग करना | रू0 1.00 प्रति बोरा |

**15. <u>हैण्डलिंग व परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति :-</u>**

रबी विपणन वर्ष 2021-22 में गेहूँ क्रय के लिए हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति सम्भागीय खाद्य नियंत्रक /सम्बन्धित क्रय एजेन्सी द्वारा नियमानुसार ई-टेण्डर के माध्यम से की जायेगी। हैण्डलिंग कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा जारी कॉस्टशीट के अनुसार भुगतान किया जायेगा और यह दरें अधिकतम होंगी। परिवहन हेतु एस0एल0सी0 द्वारा निर्धारित एस0ओ0आर0 (शिड्यूल ऑफ रेट) एवं उसके द्वारा दिये गए दिशानिर्देशों पर आधारित ई-टेण्डर के माध्यम से परिवहन ठेकेदार की नियुक्ति अनिवार्य रूप से 10 मार्च, 2021 तक कर ली जायेगी तथा हैण्डलिंग परिवहन ठेकेदार का नाम, पता, मोबाइल नम्बर, जी0एस0टी0 नम्बर इत्यादि विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

हैण्डलिंग व परिवहन ठेकेदार द्वारा क्रय एजेंसियों के क्रय केन्द्रों पर निर्धारित संख्या

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

में श्रमिक उपलब्ध कराये जायेंगे। नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि क्रय एजेन्सियों के क्रय केन्द्र पर मानक के अनुरूप श्रमिक उपलब्ध हों।

16- **गेहूँ क्रय**- खाद्य विभाग तथा भारतीय खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों को छोड़कर अन्य क्रय संस्थाओं द्वारा मण्डी स्थल में स्थापित क्रय केन्द्रों पर कृषक को गेहूँ क्रय की रसीद मण्डी समिति के प्रारूप 6आर/ई-उपार्जन के संगत प्रारूप पर निर्गत की जायेगी, जिस पर किसान का नाम, क्रय की गई मात्रा व मूल्य अंकित किया जायेगा, जिस पर किसान के हस्ताक्षर अवश्य कराये जायेंगे। खाद्य विभाग द्वारा उक्त रसीद खाद्यान्न बिल बुक/ई-उपार्जन के संगत प्रारूप पर निर्गत की जायेगी। मण्डी स्थल के बाहर स्थापित क्रय केन्द्रों पर ई-उपार्जन के संगत प्रारूप पर रसीद निर्गत की जायेगी, जिस पर किसान का नाम, पता, क्रय की गई मात्रा, मूल्य व दिनांक अंकित किया जायेगा, जिस पर किसान के हस्ताक्षर अवश्य कराये जायेंगे।

**16.1 किसानों के पहचान पत्र की व्यवस्था :-**

रबी विपणन वर्ष 2021-22 में किसानों द्वारा खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण के सम्बन्ध में जो भी विवरण दर्ज किया गया है, उसके सम्बन्ध में राजस्व अभिलेख, आधार कार्ड, पहचान पत्र व बैंक पासबुक इत्यादि मूल अभिलेख खरीद के समय क्रय केन्द्र प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे तथा उनका मिलान कराते हुए अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रतियां केन्द्र पर सुरक्षित रखी जायेंगी। इसके सम्बन्ध में आयुक्त, खाद्य तथा रसद द्वारा पृथक से दिशानिर्देश निर्गत किये जा सकेंगे।

**17- किसान से क्रय की जाने वाली अधिकतम मात्रा :-**

17.1 किसानों के पास उपलब्ध कम्प्यूटराइज्ड खतौनी इत्यादि प्रपत्रों में अंकित भूमि के आधार पर ई-उपार्जन में पंजीकरण प्रपत्र में आंकलित मात्रा के आधार पर गेहूँ की खरीद की जायेगी।

17.2 किसानों से गेहू क्रय हेतु कृषि विभाग द्वारा जनपद के लिए वर्ष 2021-22 में प्रति हेक्टेयर अनुमानित औसत उत्पादन को आधार बनाया जायेगा। जनपद में इससे अधिक मांग होने पर जिलाधिकारी उत्पादकता के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति आयुक्त, खाद्य तथा रसद को प्रेषित करेंगे, इस सम्बन्ध में आयुक्त, खाद्य तथा रसद का निर्णय अन्तिम होगा।

**17.3 बटाईदार (Share Cropper) से खरीद :-**

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुक्रम में बटाईदार से भी गेहूँ खरीद निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य होगी :-

(क) बटाईदार से राजस्व विभाग द्वारा शतप्रतिशत सत्यापन के उपरान्त अधिकतम 100 कु0 गेहूँ क्रय किया जा सकेगा।

(ख) बटाईदार भूस्वामी/कृषक के निवास के ग्राम अथवा सटे हुए गांव का तथा जहां भूस्वामी/कृषक की जमीन है, उसी ग्राम अथवा सटे हुए गांव का अनिवार्य रूप से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निवासी होना चाहिए। इस हेतु वोटर आईडी, आधार कार्ड अथवा लेखपाल के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(ग) कृषक व बटाईदार के मध्य लिखित सहमति जो कि क्षेत्र के लेखपाल से सत्यापित हो, भी देनी होगी।

(घ) बटाईदार को भी नियमानुसार खरीद के पूर्व पंजीकरण कराना होगा।

(ङ) भूमि जिसके विरूद्ध कृषक/बटाईदार ने पंजीकरण कराया है एवं गेहूँ क्रय केन्द्र पर बेचा है, के विरूद्ध मूल कृषक/बटाईदार न तो पंजीकरण करायेगा और न ही उस भूमि में उत्पादित गेहूँ की बिक्री क्रय केन्द्र पर कर सकेगा। किसी भी दशा में मूल स्वामी की जमीन के कुल रकबे के सापेक्ष अधिकतम बिक्री योग्य गेहूँ की सीमा (भू-स्वामी तथा बटाईदार की उपज का योग) से अधिक गेहूँ की खरीद नहीं की जायेगी।

(च) गेहूँ के मूल्य का भुगतान विक्रय करने वाले बटाईदार के बैंक खाते में जायेगा।

17.4 UP Imposition of Ceiling on land Holding Act, 1960 (यथा संशोधित) के प्राविधान के अनुसार भूजोत की निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत ही कृषक द्वारा गेहूँ विक्रय हेतु पंजीकरण कराया जा सकेगा। यदि एक्ट द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक भूमि पर गेहूँ विक्रय किया जाना है तो इस हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें अपर जिलाधिकारी/जिला खरीद अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी सदस्य होंगे के द्वारा परीक्षण के उपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

**17.5 <u>क्रय संस्थाओं द्वारा अस्वीकृत गेहूँ का निस्तारण</u> -**

क्रय संस्थाओं द्वारा खरीदा गया गेहूँ यदि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो उसे बाजार में बेचकर क्रय संस्थाओं द्वारा निस्तारित किया जायेगा। निस्तारण हेतु अलग से शासन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस मद में होने वाले किसी व्यय भार की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में नहीं की जाती है। इसी प्रकार राज्य सरकार की विपणन शाखा को भी अस्वीकृत गेहूँ अपने स्तर से निस्तारित करना होगा। ऐसा करने में यदि शासन को आर्थिक हानि होती है तो उसकी वसूली सम्बन्धित क्रय एजेन्सी/क्रय प्रभारी से की जायेगी।

**18- <u>गेहूँ के मूल्य का भुगतान</u> :-**

समस्त क्रय एजेन्सियों द्वारा किसानों से क्रय गेहूँ के मूल्य का भुगतान भारत सरकार के पी0एफ0एम0एस0 (Public Financial Management System) पोर्टल के माध्यम से किसानों के बैंक खाता सत्यापन के पश्चात् यथासम्भव 72 घण्टे के अन्तर्गत उनके बैंक खाते में सुनिश्चित कराया जायेगा।

**18.1 <u>क्रय योजना का प्रचार एवं प्रसार</u> :-**

सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूँ क्रय के निमित्त प्रचार-प्रसार करते समय इस बिन्दु को प्राथमिकता दी जायेगी कि सरकार की मंशा किसानों को उनकी उपज की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुरूप अथवा उससे अधिक दिलाने की है। इस बात का विशेष प्रचार किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जाये कि कृषक गेहूँ विक्रय हेतु सी0बी0एस0 युक्त बैंक खाते का ही विवरण दें तथा बैंक खाता व आई0एफ0एस0सी0 कोड भरने में विशेष सतर्कता बरतें। इस हेतु वृहद पैमाने पर पोस्टरों, स्टिकरों, फ्लैक्सी बैनर, खाद्य विभाग द्वारा दूरदर्शन, आकाशवाणी व एफ0एम0 रेडियो का प्रयोग करते हुए प्रचार-प्रसार सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से कराया जायेगा। टोल फ्री नम्बर-18001800150 का भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

**19- <u>क्रय एजेन्सियों द्वारा गेहूँ खरीद के लिए वित्तीय व्यवस्था</u> :-**

19.1 रबी विपणन वर्ष 2021-22 में गेहूँ खरीद हेतु विभिन्न क्रय एजेन्सियों तथा खाद्य एवं रसद विभाग की विपणन शाखा को अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराए जाने हेतु धनराशि की व्यवस्था रबी विपणन वर्ष 2020-21 में की गई व्यवस्था के अनुसार किया जाना उचित होगा। इस हेतु उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक से छः माह का अल्पकालिक ऋण प्राप्त किए जाने हेतु शासकीय गारण्टी स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव मा0 मंत्रि परिषद के अनुमोदनार्थ यथासमय पृथक से प्रस्तुत किया जायेगा।

**19.2** स्थापित क्रय केन्द्रों पर गेहूँ खरीद वर्ष 2021-22 में गेहूँ क्रय की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित मदों पर व्यय अनुमन्य होगा:-

i. योजना का प्रचार-प्रसार।

ii. क्रय कार्य हेतु कर्मियों का तकनीकी प्रशिक्षण।

iii. टेलीफोन/मोबाइल/स्टेशनरी/कम्प्यूटर/लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड/इंटरनेट/प्रिन्टर/ई-उपार्जन से सम्बन्धित एस0एम0एस0 पर व्यय व अन्य उपकरणों तथा अनुरक्षण सम्बन्धी व्यय तथा संवैधानिक शुल्क, ऑडिट एवं वेब सिक्योरिटी फीस इत्यादि।

iv. ई-पॉप मशीन की व्यवस्था एवं संचालन हेतु समस्त व्यय।

v. इलेक्ट्रानिक कांटा/नमीमापक यन्त्र/डस्टर/पावर डस्टर/जनरेटर/यान्त्रिक मशीनरी को चलाने हेतु लगने वाला फ्यूल/क्रय केन्द्र/कार्यालय/ गोदाम हेतु विद्युत कनेक्शन व विद्युत खर्च/नेट कनेक्टिविटी/बोरों की सिलाई हेतु इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन/सोलर पैनल/खाद्यान्न के विश्लेषण हेतु विश्लेषण किट आदि का प्रचार-प्रसार/किसानों की सुख-सुविधा आदि पर व्यय।

vi. क्रय केन्द्रों के निरीक्षणार्थ किराये पर वाहन लेने तथा पी0ओ0एल0 (Petroleum Oil and Lubricant) की व्यवस्था।

vii. अस्थायी मानव संसाधन की व्यवस्था तथा ई‌उपार्जन साफ्टवेयर हेतु एन0आई0सी0 को मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु।

viii. हैण्डलिंग/परिवहन व्ययों के भुगतान।

ix. बोरों की आपूर्ति, वर्षा आदि से खाद्यान्न के बचाव तथा रख-रखाव के लिए क्रेट्स, तिरपाल, पालीथीन कवर तथा अन्य आवश्यक सामग्री क्रय किया जाना।

x. गेहूँ क्रय की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु कॉल सेन्टर खाद्यायुक्त कार्यालय एन0आई0सी0 हेतु पी0एम0यू0 (प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट) आदि मदों में व्यय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

xi. स्टाफ की कमी, खाद्यान्न क्रय में कार्य की अधिकता के कारण अवकाश के दिनों में भी खरीद, कृषक पंजीकरण, ई-उपार्जन के माध्यम से खरीद के दृष्टिगत खाद्य विभाग में स्वीकृत रिक्त पदों के सापेक्ष तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कमी की स्थिति में जेम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता का चयन कर उनसे कम्प्यूटर ऑपरेटर व चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की पूर्ति नियमानुसार सक्षम स्तर से की जा सकेगी।

xii. चूंकि केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न का उठान व खाद्यान्न क्रय में सम्प्रदान ऑनलाइन बिलिंग व भुगतान का कार्य पूरे वित्तीय वर्ष होता रहेगा, अतएव उक्त मदों में व्यय पूरे वित्तीय वर्ष में अनुमन्य होगा।

19.3 गेहूँ खरीद सत्र की समाप्ति पर गेहूँ के केन्द्रीय पूल में सम्प्रदान की निर्धारित अवधि समाप्त होने के उपरान्त अधिकतम 03 माह में प्रत्येक गेहूँ क्रय केन्द्र का आडिट पूर्ण किया जायेगा।

19.4 गेहूँ के मूल्य का भुगतान करने के लिए अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं अन्य जो भी व्यवस्था गेहूँ क्रय हित में आवश्यक होगी, उस पर खाद्य विभाग एवं खाद्य आयुक्त द्वारा कार्यवाही की जायेगी। इस प्रयोजनार्थ होने वाले व्यय का वहन "लेखा शीर्षक-4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार पर पूँजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्नपूर्ति योजना-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" से पूर्व की भाँति किया जायेगा।

20 <u>क्रय केन्द्रों व भण्डारण डिपो का निरीक्षण :-</u>

20.1 क्रय एजेन्सियों के जिला स्तरीय अधिकारी अपनी क्रय एजेन्सी के प्रत्येक केन्द्र का सप्ताह में न्यूनतम एक बार निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रय केन्द्र समय से खुलते हैं, वहां पर गेहूँ खरीद हेतु अपेक्षित सुविधाएं हैं तथा कृषकों से ही नियमानुसार खरीद की जा रही है। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कि क्रय केन्द्रों पर अनधिकृत कटौती अथवा घटतौली तो नहीं की जा रही है। इस हेतु आवश्यक साफ्टवेयर एन0आई0सी0 द्वारा विकसित कराकर सम्बन्धित को उपलब्ध कराया जायेगा।

20.2 क्रय केन्द्रों को भौतिक रूप से क्रियाशील कराने, सुचारू रूप से गेहूँ क्रय सम्प्रदान व बिलिंग आदि कराने हेतु क्रय संस्था के अधिकारियों द्वारा न्यूनतम निरीक्षण निम्नवत् किये जायेंगे। उक्त अधिकारी निरीक्षण में पायी गयी कमियों/अनियमितताओं को दूर कराते हुए दैनिक रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित करायेंगे तथा निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर भी फीड की जायेगीः-

| | | | |
|---|---|---|---|
| i. | सम्भागीय खाद्य नियंत्रक | - | 03केन्द्र प्रतिदिन। |
| ii. | सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी/<br>संयुक्त आयुक्त/निबन्धक (सहकारी समितियाँ)/<br>क्रय एजेन्सियों के मण्डलीय अधिकारी | - | 04 केन्द्र प्रतिदिन। |
| iii. | जिला खाद्य विपणन अधिकारी/सहायक आयुक्त/<br>निबन्धक, (सहकारी समितियाँ) क्रय संस्था के जिला | | |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्तरीय अधिकारी। - 05केन्द्र प्रतिदिन।

iv. क्षेत्रीय विपणन अधिकारी - 06केन्द्र प्रतिदिन।

20.3 जिलाधिकारी अपने स्तर से क्रय एजेन्सियों द्वारा खोले गए क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करायेंगे तथा विभिन्न अधिकारियों के मध्य निरीक्षण हेतु रोस्टर निर्धारित करेंगे तथा सुविधानुसार स्वयं भी गेहूँ क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करते रहेंगे। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला खाद्य विपणन अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, क्रय एजेन्सियों के जिला प्रबन्धक द्वारा दैनिक क्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया जा रहा है अथवा नहीं।

मण्डलायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहकारिता व क्रय एजेन्सियों के मण्डलीय अधिकारियों द्वारा दैनिक क्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया जा रहा है अथवा नहीं तथा स्वयं भी क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर पायी गयी कमियों का निराकरण करायेंगे।

जनपद स्तरीय अधिकारी अपनी निरीक्षण रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित करेंगे तथा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक व अन्य मण्डल स्तर के अधिकारी द्वारा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट मण्डलायुक्त को प्रेषित की जायेगी।

20.4 सम्भागीय खाद्य नियंत्रक व क्षेत्र प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम भी क्रय केन्द्रों व भण्डारण डिपो का खाद्य विभाग व भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण हेतु एक कार्य योजना बनाकर क्रय सत्र में अधिकाधिक निरीक्षण करेंगे तथा पायी गयी कमियों का स्वयं निराकरण करायेंगे। गम्भीर अनियमितता पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी।

20.5 पी0सी0एफ0 व पी0सी0यू0 के क्रय केन्द्रों की भारी संख्या के दृष्टिगत सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां एवं सहकारिता विभाग के अन्य अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे। मण्डल स्तर पर संयुक्त आयुक्त/निबन्धक, सहकारी समितियां, पी0सी0एफ0 व पी0सी0यू0 के केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे तथा इनकी खरीद का नियमित अनुश्रवण करेंगे।

20.6 सम्भागीय खाद्य नियंत्रक व क्षेत्र प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम सुनिश्चित करेंगे कि डिपो पर गेहूँ का सुगमतापूर्वक उतार हो, ट्रकों की लम्बी-लम्बी लाइनें न लगने पायें, श्रमिकों की समस्या उत्पन्न न हो, गेहूँ के पावती प्रपत्र समय से निर्गत किये जायें तथा गेहूँ उतार की दैनिक सूचना ई-उपार्जन पोर्टल पर एफ0सी0आई0 द्वारा फीडिंग करायी जाये। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी/सतर्कता अधिकारी का ई-मेल, पता व फोन नम्बर तथा टोल फ्री नम्बर को भी भण्डारण डिपो पर प्रदर्शित किया जाये। इस संबंध में समस्या आने पर जिलाधिकारी अपने स्तर से निराकरण करायेंगे।

20.7 जनपद में कृषकों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो रहा है, मानक के अनुरूप गेहूँ की डिस्ट्रेस सेल न हो, इसे सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी, अपर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जिलाधिकारी (जिला खरीद अधिकारी), खाद्य विभाग व मण्डी समिति/परिषद के मण्डी क्षेत्र/ब्लाक/ जनपद व सम्बन्धित मण्डल स्तर के अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

उक्त सभी अधिकारीगण निरीक्षण के समय आने वाली कमियों का निराकरण कराते हुए निराकरण की स्थिति से उच्च अधिकारियों को अवगत करायेंगे तथा अन्तर्विभागीय समस्या होने पर जिलाधिकारी के संज्ञान में लायेंगे।

**21- <u>गेहूँ की केन्द्रीय पूल में डिलीवरी</u> :-**

21.1 रबी विपणन वर्ष 2021-22 में गेहूँ का क्रय केन्द्रीय पूल के लिए किया जायेगा। अतः क्रय एजेंसियों द्वारा अपने क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गये गेहूँ की डिलीवरी भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्र प्रबन्धक द्वारा जारी संचरण कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित भारतीय खाद्य निगम डिपो पर की जायेगी। भा0खा0नि0 सुनिश्चित करेगी कि जनपद में गेहूँ क्रय के सापेक्ष केन्द्रीय पूल में गेहूँ का उतार तीव्रता से हो।

21.2 क्रय एजेन्सियों द्वारा 15 जून, 2021 तक खरीदे गये गेहूँ की डिलीवरी भारतीय खाद्य निगम को 30 जून 2021 तक अवश्य की जाये।

21.3 भारतीय खाद्य निगम का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि गेहूँ खरीद के सापेक्ष भण्डारण हेतु पर्याप्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध हो, भण्डारण स्थान की कमी की स्थिति में भारतीय खाद्य निगम द्वारा समय से उपयुक्त गोदाम किराये पर लेने /खाद्यान्न का आउटवर्ड संचरण कराने की कार्यवाही वरीयता के आधार पर की जायेगी। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ की डिलीवरी हेतु उतार व बिलिंग, एक्नालेजमेन्ट की व्यवस्था अनिवार्य रूप से ऑनलाइन की जायेगी।

21.4 भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा डिपो पर प्रतिदिन सम्प्रदानित गेहूँ की सूचना दैनिक रूप से सम्बन्धित क्रय एजेन्सी के जनपद स्तरीय अधिकारी को दी जायेगी तथा इसकी ई उपार्जन माड्यूल पर फीडिंग भी करायी जायेगी।

21.5 भारतीय खाद्य निगम डिपो पर तैनात क्षेत्रीय विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक व क्रय एजेन्सी के प्रतिनिधि, गेहूँ की डिलीवरी में उत्पन्न गुणवत्ता विवाद की स्थिति में भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि के साथ संयुक्त विश्लेषण के उपरान्त गेहूँ की गुणवत्ता के विषय में निर्णय ले सकेंगे। भारतीय खाद्य निगम द्वारा एकपक्षीय (Unilateral) रूप से गेहूँ की ट्रक का रिजेक्शन नहीं किया जायेगा।

21.6 भारतीय खाद्य निगम पर गेहूँ की डिलीवरी के पश्चात् प्राप्त एक्नॉलेजमेन्ट के आधार पर भारत सरकार द्वारा जारी अनन्तिम कॉस्टशीट के अनुसार बिल बनाकर भारतीय खाद्य निगम से भुगतान प्राप्त किया जायेगा। भा0खा0नि0 द्वारा 48 घण्टे के अन्दर ऑनलाइन एक्नॉलेजमेन्ट जारी किया जायेगा। इस क्रय सत्र में डिपो पर खाद्यान्न की प्राप्ति, एक्नॉलेजमेन्ट आदि का निर्गमन तथा बिलिंग आदि हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया अपनायी जायेगी तथा भा0खा0नि0 द्वारा ऑनलाइन पावती पत्र (एक्नॉलेजमेंट) व अन्य संगत अभिलेखों के आधार पर क्रय एजेंसियों का ऑनलाइन बिल प्राप्त होने पर विलम्बतम 03

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्य दिवस के अन्दर भुगतान किया जायेगा। एक्नॉलेजमेन्ट निर्गमन, बिलों का प्रस्तुत किया जाना व क्रय एजेन्सियों को भुगतान ई (इलेक्ट्रानिक) प्रणाली द्वारा किया जायेगा। महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम द्वारा सभी डिपो में क्रय सत्र के पूर्व अपेक्षित कम्प्यूटर, इन्टरनेट व सॉफ्टवेयर आदि की उपलब्धता प्रत्येक दशा में 15 मार्च, 2021 तक सुनिश्चित की जायेगी।

21.7 जिन जनपदों में केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत गेहूँ भण्डारण हेतु पर्याप्त भण्डारण क्षमता का अभाव होगा, उन जनपदों में जिलाधिकारी, खाद्य विभाग, राज्य भण्डारागार निगम व भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के सहयोग से गेहूँ के सुरक्षित भण्डारण की वैकल्पिक व्यवस्था समय से करेंगे, जिससे वर्षा आदि से गेहूँ क्षतिग्रस्त न होने पाये। अपरिहार्य स्थिति में शासकीय हित में जिलाधिकारी गेहूँ के अस्थाई भण्डारण हेतु गोदाम, भवन, अन्य उपयुक्त स्थान का नियमानुसार अधिग्रहण भी कर सकेंगे।

**22- <u>कठिनाईयों का निराकरण</u> :-**

22.1 गेहूँ खरीद से सम्बन्धित जारी की गयी शासकीय अधिसूचना अथवा तत्सम्बन्धित शासनादेशों के क्रियान्वयन को सुगमता से लागू करने में यदि किसी समय कोई कठिनाई अनुभव की जाती है अथवा इस प्रयोजन के लिए स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए आयुक्त, खाद्य तथा रसद, उत्तर प्रदेश निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे। यदि कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है, जो नीति विषयक हो या जिसमें अनुमोदित नीति से विचलन निहित हो, तो आयुक्त, खाद्य तथा रसद द्वारा शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

22.2 रबी विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान यदि गेहूँ क्रय नीति के किसी प्राविधान में तात्कालिक रूप से किसी संशोधन की आवश्यकता होती है, तो नीति विषयक संशोधन/विचलन हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

**23- <u>गेहूँ क्रय का अनुश्रवण</u> :-**

23.1 जिला स्तर पर जिला खरीद अधिकारी के पर्यवेक्षण में तथा सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के पर्यवेक्षण में एक खरीद नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जायेगी जिसमें गेहूँ क्रय कार्य की समीक्षा की जायेगी। साथ ही क्रय के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जायेगी। मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त गेहूँ खरीद के सम्बन्ध में नियमित समीक्षा कर प्रभावी नियंत्रण/अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

23.2 खरीद नियंत्रण कक्ष, कार्य दिवसों में कार्यालय समय में सक्रिय रहेगा। इसके अतिरिक्त रविवार व राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर अन्य अवकाश के दिनों में भी प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक क्रियाशील रहेगा।

23.3 सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी तथा क्रय संस्थाओं के मण्डलीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा गेहूँ खरीद की नियमित समीक्षा एवं क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कि डिस्ट्रेस सेल की स्थिति उत्पन्न न होने पाये तथा क्रय केन्द्रों पर गेहूँ क्रय की समुचित व्यवस्था के अनुश्रवण के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को गेहूँ विक्रय के उपरान्त गेहूँ के मूल्य का पूरा भुगतान प्राप्त हो।

23.4 तहसील स्तर पर गेहूँ खरीद सुचारू रूप से सम्पन्न कराने व प्रभावी अनुश्रवण हेतु उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जायेगा, जो सप्ताह में न्यूनतम एक बार बैठक कर गेहूँ क्रय आदि की समीक्षा व अनुश्रवण करेगी। कमेटी के सदस्य निम्नवत् होंगे :-

| क्रम | अधिकारी का नाम | समिति के सदस्य |
|---|---|---|
| 1 | उप जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2 | क्षेत्रीय विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक | संयोजक |
| 3 | प्रत्येक क्रय एजेन्सी के तहसील/ब्लाक मुख्यालय का प्रभारी | सदस्य |
| 4 | ए0डी0सी0ओ0, सहकारिता | सदस्य |
| 5 | मण्डी सचिव | सदस्य |
| 6 | कृषि विभाग के अधिकारी | सदस्य |
| 7 | कृषि विपणन निरीक्षक | सदस्य |
| 8 | बांट-माप विभाग के अधिकारी | सदस्य |
| 9 | उप जिलाधिकारी द्वारा नामित 02 प्रगतिशील कृषक | सदस्य |

23.5 जिलाधिकारी जनपद में अल्प सूचना के आधार पर शत-प्रतिशत केन्द्रों के भौतिक सत्यापन हेतु जिलास्तरीय अधिकारियों को लगाते हुए निरीक्षण रोस्टर तैयार करेंगे व गेहूँ खरीद को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करायेंगे तथा पायी गयी कमियों का निराकरण करायेंगे। निरीक्षण के बिन्दु आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।

23.6 किसी क्रय केन्द्र पर बिचौलियों या व्यापारियों से गेहूँ की खरीद करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण हेतु निर्गत गेहूँ का रिसाइक्लिंग कर गेहूँ की खरीद करने तथा केन्द्र पर खाली बोरों के दुरूपयोग आदि का मामला प्रकाश में आता है तो ऐसे प्रकरण में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

**24 <u>खाद्य नियंत्रण कक्ष</u> :-**

24.1 गेहूँ खरीद प्रगति के नियमित अनुश्रवण हेतु खरीद नियंत्रण कक्ष, जवाहर भवन, लखनऊ में स्थापित है, जो प्राप्तः 09:00 बजे से सांय 07:00 बजे तक खुला रहेगा (रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर)। गेहूँ खरीद से सम्बन्धित संस्थावार तथा जनपदवार सूचनायें निर्धारित प्रपत्र में प्रभारी, खरीद नियंत्रण कक्ष को जिला खरीद अधिकारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी तथा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से ई-मेल/फैक्स आदि के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

24.2 प्रभारी, खाद्य नियंत्रण कक्ष, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा सभी क्रय संस्थाओं व सम्भागीय खाद्य नियंत्रक से सूचना प्राप्त की जायेगी तथा ऑनलाइन विवरण के अनुसार सूचना संकलित कर गेहूँ खरीद प्रगति की संस्थावार सूचना शासन व अन्य सम्बन्धित को प्रतिदिन उपलब्ध करायी जायेगी।

सभी संस्थायें व सम्भागीय खाद्य नियंत्रक निर्धारित प्रारूप पर खरीद सम्बन्धी सूचना खरीद नियंत्रण कक्ष को अनिवार्यतः प्रतिदिन 11:00 बजे तक फैक्स/ई-मेल (up.fncsmarketing@gmail.com) /विशेष पत्रवाहक के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। सभी संस्थायें नियमित रूप से सूचनाएं प्रेषित करेंगी।

24.3 खाद्य आयुक्त, नियंत्रण कक्ष का दूरभाष व फैक्स नं0-0522-2288906 है तथा विभागीय वेबसाइट www.fcs.up.gov.in है। गेहूँ क्रय से सम्बन्धित शिकायतें/ सुझाव टोल फ्री नं0- 18001800150 पर भी दर्ज करायी जायेंगी।

25- **गेहूँ खरीद के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक** :-

25.1 गेहूँ खरीद के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त व सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा साप्ताहिक समीक्षा बैठक तथा जिलाधिकारी/जिला खरीद अधिकारी द्वारा दैनिक समीक्षा बैठक की जायेगी।

26- **पुरस्कार/मानदेय एवं दण्ड की व्यवस्था** :-

प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप गेहूँ क्रय में महत्वपूर्ण योगदान देने अथवा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत या उससे अधिक गेहूँ की खरीद करने पर शासन की अनुमति से क्रय संस्थाओं/शासन तथा विभाग के अधिकारियो /कर्मचारियों को "लेखा शीर्षक- 4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार पर पूँजीगत परिव्यय-01-खाद्य- 101- अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्नपूर्ति योजना- 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति" के मद से पुरस्कार/मानदेय देकर प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, यदि गेहूँ खरीद में किसी क्रय संस्था/अधिकारी /कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही/उदासीनता बरती जाती है या लक्ष्य के अनुरूप क्रय किये जाने में योगदान नहीं दिया जाता है तो उसे नियमानुसार दण्डित करने हेतु सभी क्रय संस्थाओं के सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए गेहूं की खरीद प्रभावी ढंग से की जाय।

भवदीय,

(ओम प्रकाश वर्मा)
विशेष सचिव

संख्या-4/2021/184(1)/29-5-2021,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।

4- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/संस्थागत वित्त/कर एवं निबन्धन विभाग,उ0प्र0 शासन।

5- अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।

6- अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, सहकारिता

7- अपर मुख्य सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

9- आंचलिक प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।

10- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।

11- आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।

12- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, 7 बालाकदर रोड, लखनऊ।

13- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0प्र0, लखनऊ।

14- कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।

15- अपर आयुक्त (विपणन)/वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ।

16- समस्त सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उ0प्र0।

17- समस्त सम्भागीय लेखाधिकारी, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0।

18- प्रभारी, खाद्य नियंत्रण कक्ष, जवाहर भवन, लखनऊ।

19- खाद्य तथा रसद विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी।

20- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

21- मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।

22- गार्ड फाइल/एन0आई0सी0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(हरीराम)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।